माननीय हेमंत गुप्ता और कंवलजीत सिंह अहलुवालीअ, जज. के समक्ष

सुनील दत्त–याचिकाकर्ता

बनाम

महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, रोहतक और अन्य - *उत्तरदाता*

सी.डब्ल्यू.पी.नं. 2008 का 12762

1 सितम्बर, 2008

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद। 226–एलएलबी में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाला एक शिक्षक। (ऑनर्स) शाम की कक्षाओं में - पोस्टिंग के स्थान से विश्वविद्यालय की दूरी 70 किलोमीटर - पात्रता शर्त यह है कि 45 किलोमीटर के भीतर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए शाम का पाठ्यक्रम। विधि संकाय से - दूरी तय करना न तो मनमाना है और न ही अनुचित - केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता की पोस्टिंग का स्थान 70 किलोमीटर है। 45 किलोमीटर का कटऑफ नहीं देगा। अनुचित-याचिका खारिज।

यह माना गया कि बैचलर ऑफ लॉ जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम की डिग्री अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत एक वकील के नामांकन की ओर ले जाती है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की आवश्यकता है कि किसी व्यक्ति को वकील के रूप में नामांकित करने से पहले, एक उम्मीदवार को यह करना आवश्यक है। सिद्धांत और व्यावहारिक विषयों में 75% व्याख्याताओं से गुजरना पड़ता है। उक्त उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए व्यावसायिक डिग्री के लिए छात्रों के प्रवेश के लिए 45 किलोमीटर की दूरी को पूरी तरह से मनमाना या अनुचित नहीं कहा जा सकता है। दूरी तय करते समय या उस मामले के लिए कट ऑफ

मार्क्स या दूरी की किसी भी शर्त की जांच इस दृष्टि से की जानी चाहिए कि यह मनमाना या अनुचित है। केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता की पोस्टिंग की जगह 70 किलोमीटर है, इससे 45 किलोमीटर की कट-ऑफ नहीं हो जाएगी। अनुचित के रूप में. तय की गई दूरी एक उम्मीदवार को अपने निवास स्थान से अध्ययन करने और इसके विपरीत आने-जाने की सुविधा प्रदान करने के लिए है। इसे इस दृष्टि से डिज़ाइन किया गया है कि किसी उम्मीदवार की नौकरी की अपेक्षाओं और उसकी शैक्षणिक गतिविधियों को एक साथ समन्वित किया जा सके। विश्वविद्यालय सुगम वर्गीकरण के आधार पर पात्रता शर्त तय करने के लिए स्वतंत्र है। विश्वविद्यालय के विधि संकाय से 45 किलोमीटर के दायरे में तैनात कर्मचारियों के संबंध में वर्गीकरण मनमाना वर्गीकरण नहीं है। जिस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहा है, उसके साथ इसका उचित संबंध है।

वाई.पी. सिंह याचिकाकर्ता के वकील ।

बी.एल. गुप्ता, अधिवक्ता, प्रतिवादियों के वकील

हेमंत गुप्ता, जे.

(1) याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी विश्वविद्यालय के साथ एलएलबी (ऑनर्स) 3-वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए एक उम्मीदवार इस शर्त को रद्द करने के लिए इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल किया है कि उम्मीदवार की पोस्टिंग का स्थान प्रतिवादी विश्वविद्यालय के विधि संकाय के 45 किलोमीटर के भीतर होना चाहिए।

(2) याचिकाकर्ता एलएलबी ऑनर्स) 3-वर्षीय पाठ्यक्रम शाम को में प्रवेश के लिए पात्र है। जिसमे उपलब्ध 80 सीटों पर प्रवेश के लिए आवेदन किया। याचिकाकर्ता राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय,

जमालपुर, जिला भिवानी में हिंदी शिक्षक के रूप में कार्यरत है, जो विश्वविद्यालय से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। याचिकाकर्ता ने प्रवेश परीक्षा में 100 अंकों में से 59 अंक पा कर अनुसूचित जाति वर्ग की मेरिट में 10वीं रैंक और सामान्य वर्ग में 74वीं रैंक हासिल की। अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 14 सीटें आरक्षित हैं और इस प्रकार, याचिकाकर्ता एलएलबी (ऑनर्स) पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने का हकदार है। हालाँकि, याचिकाकर्ता को इस कारण से पाठ्यक्रम में प्रवेश से वंचित कर दिया गया कि उसकी पोस्टिंग का स्थान 45 किलोमीटर के भीतर नहीं है। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने प्रॉस्पेक्टस में उक्त शर्त के खिलाफ व्यथित होकर इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल किया।

(3) प्रॉस्पेक्टस में प्रासंगिक खंड इस प्रकार है:- "3-वर्षीय एलएलबी के लिए। (ऑनर्स) कोर्स (शाम की कक्षाएं):

प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण उम्मीदवार के लिए खुला है| कुल मिलाकर कम से कम 45% अंक हासिल करने के साथ स्नातक/मास्टर डिग्री परीक्षा या एम.डी. विश्वविद्यालय, रोहतक द्वारा समकक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त परीक्षा। एल.एल.बी. (ऑनर्स) शाम का पाठ्यक्रम एमडीयू, रोहतक के विधि संकाय से 45 किलोमीटर के भीतर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए है। एलएलबी (ऑनर्स) 3 ईयर इवनिंग कोर्स के लिए उम्मीदवार को अपने नियोक्ता से एक प्रमाण पत्र जमा करना होगा कि कर्मचारी को एलएलबी (ऑनर्स) में भाग लेने के लिए छूट दी जाएगी। विधि संकाय, एम.डी. विश्वविद्यालय, रोहतक की सायंकालीन कक्षाएं शाम 5.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक सप्ताह में छह दिन प्रतिदिन। हालाँकि शिक्षण कक्षाएं शाम को आयोजित की जाएंगी, लेकिन अंतिम वर्ष के इन छात्रों को प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए दिन के समय व्यावहारिक, कानूनी सहायता और अदालत के दौरे में भाग लेना होगा।

(4) याचिकाकर्ता ने पाठ्यक्रम में प्रवेश के समर्थन में सरकारी सेवा के लिए

एक प्रमाण पत्र, अनुलग्नक पी-2 संलग्न किया है, जो निम्नलिखित प्रभाव वाला है: -

"यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुनील दत्त पुत्र श्री जीत राम वीपीओ, बवानी खेड़ा (भिवानी) के स्थायी निवासी हैं। वह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जमालपुर (भिवानी) में हिंदी अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। उनकी सेवा में शामिल होने की तिथि 2 नवंबर, 1995 है। कर्मचारी 5 नवंबर, 2005 से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जमालपुर में कार्यरत हैं। उनका मूल वेतनमान रु. 6,550/- स्कूल का समय सुबह 8.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक है।

(5) याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसने जिला रोहतक की सीमा के पास किसी भी स्कूल में स्थानांतरण के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिससे उसे प्रतिवादी विश्वविद्यालय में कक्षाओं में भाग लेने की सुविधा मिल सके। निकटवर्ती जिला रोहतक में 10 से अधिक स्कूल हैं, हालांकि वे जिला भिवानी में स्थित हैं। ऐसे स्कूल विधि संकाय से 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर हैं। वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता का दावा है कि 45 किलोमीटर की शर्त पूरी तरह से अवैध, मनमाना है और एक उचित वर्गीकरण नहीं बनाती है और प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ इसका कोई संबंध नहीं है और इसलिए, इस तरह के खंड को रद्द किया जाना चाहिए।

(6) उत्तर में, प्रतिवादी-विश्वविद्यालय द्वारा यह कहा गया है कि विश्वविद्यालय ने एलएलबी (ऑनर्स) के लिए 8 जुलाई, 2008 को एक संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित की थी। पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रॉस्पेक्टस के अनुसार है। प्रॉस्पेक्टस के अध्याय 1 में पात्रता शर्तों का प्रावधान है, जिसमें यह शर्त भी शामिल है कि शाम का पाठ्यक्रम विधि संकाय, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से 45 किलोमीटर के भीतर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए है। यह तर्क दिया गया

है कि विश्वविद्यालय परिसर से 45 किलोमीटर के भीतर काम करने वाले सेवारत उम्मीदवार एक अच्छी तरह से परिभाषित वर्ग बनाते हैं और क्षेत्रीय सीमा निर्धारित करने के पीछे तर्क शाम की कक्षाओं में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने की संभावना/व्यवहार्यता है ताकि उचित निर्देश/प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। व्यावसायिक पाठ्यक्रम में विश्वसनीयता और स्वीकार्यता को शामिल करना, न कि उपस्थिति की आवश्यकता को महज एक अनुष्ठान तक सीमित करना। यह बताया गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/बार काउंसिल के निर्देशों के अनुसार, एक छात्र को परीक्षा में बैठने की अनुमति देने से पहले अलग से दिए गए न्यूनतम 75% व्याख्यान/प्रैक्टिकल में भाग लेना आवश्यक है। इसलिए, उम्मीदवार के मूल संगठन में सेवा की अत्यावश्यकताओं, कार्यस्थल से विश्वविद्यालय तक लंबी दूरी तय करने में लगने वाले संभावित यात्रा समय और शीर्ष नियामक निकायों द्वारा तय किए गए सटीक मानकों को ध्यान में रखते हुए, 45 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। ट्रैफिक जाम/कनेक्टिविटी में कठिनाई आदि के लिए छूट देने के बाद उचित माना जाता है। केदार नाथ बाजोरिया बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1) के रूप में रिपोर्ट किए गए मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया गया था, यह तर्क देने के लिए कि अनुच्छेद 14 का संविधान के लिए यह आवश्यक नहीं है कि विधायी वर्गीकरण वैज्ञानिक रूप से परिपूर्ण या तार्किक रूप से पूर्ण हो। बिहार राज्य बनाम सच्चिदानंद किशोर प्रसाद सिन्हा मामले में दिए गए फैसले पर भरोसा करते हुए, (2) यह तर्क दिया गया कि केवल बेहतर वर्गीकरण की संभावना वैधानिक प्राधिकरण द्वारा किए गए वर्गीकरण को रद्द करने का कोई आधार नहीं है। इस प्रकार, यह आरोप लगाया गया कि इस वर्गीकरण को रद्द करने का कोई आधार नहीं है कि शाम का पाठ्यक्रम एलएलबी (ऑनर्स) की डिग्री प्रदान करता है। विधि संकाय से 45 किलोमीटर के भीतर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए है।

(7) हालांकि याचिकाकर्ता का मामला यह है कि जहां वह तैनात है उस स्कूल का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक है, लेकिन तथ्य यह है कि शाम की कक्षाएं शाम 5 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक हैं हालाँकि वह समय पर पहुँचने में सक्षम हो सकता है, लेकिन सप्ताह में छह दिन कक्षाओं में भाग लेने के बाद दिल्ली-हिसार राजमार्ग से 70 किलोमीटर की दूरी तय करना और देर रात में गाँव की सड़कों के माध्यम से घर पहुँचने की कनेक्टिविटी कठिनाइयों से मुक्त नहीं हो सकती है ताकि वह सुबह 8 बजे अपने स्कूल के काम के लिए तैयार हो सके। इसके अलावा, नियोक्ता की ओर से कोई प्रमाण पत्र नहीं है कि याचिकाकर्ता को एलएलबी (ऑनर्स) की कक्षाएं शाम 5.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे में सप्ताह में छह दिन भाग लेने के लिए छूट दी जाएगी।

(8) बैचलर ऑफ लॉ जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम की डिग्री अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत एक वकील के नामांकन के लिए होती है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की आवश्यकता यह है कि किसी व्यक्ति को वकील के रूप में नामांकित करने से पहले, एक उम्मीदवार को 75% से गुजरना आवश्यक है। सिद्धांत और व्यावहारिक विषयों में व्याख्यान की. उक्त उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, व्यावसायिक डिग्री के लिए छात्रों के प्रवेश के लिए 45 किलोमीटर की दूरी को पूरी तरह से मनमाना या अनुचित नहीं कहा जा सकता है। दूरी तय करते समय या उस मामले के लिए कट ऑफ मार्क्स या दूरी की किसी भी शर्त की जांच इस दृष्टि से की जानी चाहिए कि यह मनमाना या अनुचित है। केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता की पोस्टिंग की जगह 70 किलोमीटर है, 45 किलोमीटर की कटऑफ को अनुचित नहीं ठहराया जाएगा। तय की गई दूरी एक उम्मीदवार को अपने निवास स्थान से अध्ययन करने और इसके विपरीत आने-जाने की सुविधा प्रदान करने के लिए है। इसे इस दृष्टि से डिज़ाइन किया गया है कि किसी उम्मीदवार की नौकरी की अपेक्षाओं और उसकी शैक्षणिक गतिविधियों को एक साथ समन्वित किया जा सके।

विश्वविद्यालय सुगम वर्गीकरण के आधार पर पात्रता शर्त तय करने के लिए स्वतंत्र है। विश्वविद्यालय के विधि संकाय से 45 किलोमीटर के दायरे में तैनात कर्मचारियों के संबंध में वर्गीकरण मनमाना वर्गीकरण नहीं है। जिस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहा है, उसके साथ इसका उचित संबंध है। इसलिए, हमें वर्तमान याचिका में कोई योग्यता नहीं मिलती|

(9) बर्खास्त.

आर.एन.आर.

(1) एआईआर 1953 एस.सी. 404

(2) (1995)3 एस.सी.सी. 86

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

Checked By:

Sakshi Gupta

Trainee Judicial Officer

Chandigarh Judicial Academy